

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012022-232647 CG-DL-E-14012022-232647

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] No. 13] नई दिल्ली, शुक्रवार , जनवरी 14, 2022/पौष 24, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2022/PAUSHA 24, 1943

> वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2022

सं. 46/2015-20

विषयः प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के पैरा 2.54 (घ)(V)(IV) में संशोधन।

फा.सं. 01/89/180/53/एएम-01/पीसी-।।(ख)/ई-2382.—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रकिया पुस्तक (2015-2020) के पैरा 2.54 (घ)(V)(IV) को जहां सुरक्षित देशों/क्षेत्रों से आने वाले धात्विक स्क्रैप के आयात मामले में पोतलदान पूर्व निरीक्षण प्रमाणपत्र (पीएसआईसी) से छूट दी गई है समुद्री पत्तनों की सूची में हजीरा पत्तन और कामराजर पत्तन को शामिल कर संशोधित करते हैं। संशोधित पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा (संशोधन मोटे अक्षरों में हैं)।

संशोधित पैरा सं0 2.54 (घ)(V)(IV): उद्गम देश से धात्विक अपिशष्ट और स्क्रैप की आयात खेपें पूर्व पोत लदान निरीक्षण प्रमाण पत्र (पीएसआईसी) के अधीन होंगी। तथापि, सुरक्षित देशों/क्षेत्र अर्थात यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ से आयातित धात्विक अपिशष्ट और स्क्रैप (खंडित और अखंडित दोनों) हेतु पीएसआईसी की आवश्यकता नहीं होगी यदि खेप को दस (10) पत्तनों नामतः चेन्नई, तुतीकोरिन, कांडला, जेएनपीटी, मुम्बई, कृष्णापट्टनम, मुंद्रा, कटूपल्ली, हजीरा और कामराजर से निकासी दी गई है। इन छह देशों/क्षेत्रों से खेप के साथ आपूर्तिकर्ता/स्क्रैप यार्ड प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा कि इसमें कोई भी रेडियोधर्मी सामग्री/विस्फोटक शामिल नहीं है। तथापि यह इन पत्तनों पर पोर्टल मानीटर और कंटेनर स्कैनर के

276 GI/2022 (1)

माध्यम से विकिरण और विस्फोटक जांच के अधीन होगा। इन देशों/क्षेत्रों के माध्यम से ट्रांस-शिपमेंट की इस सुविधा से अनुमित नहीं दी जाएगी। शेष आठ (8) अन्य पत्तनों के माध्यम से आयात (खंडित और अखंडित स्क्रैप/अपशिष्ट दोनों हेत्) उद्गम देश को ध्यान में रखे बिना पीएसआईसी के अधीन होगा।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

6 सुरक्षित देशों/क्षेत्रों से बिना पीएसआईसी के धातु अपिशष्ट और स्क्रैप के आयात को अब हजीरा पत्तन और कामराजर पत्तन को शामिल कर कुल 10 नामित पत्तनों से अनुमित दी गई है। परिणामस्वरूप प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.54 के अन्तर्गत धातु स्क्रैप के आयात के लिए पीएसआईसी से छूट प्राप्त समुद्री पत्तनों की कुल संख्या मौजूदा 08 से बढ़कर 10 हो गई है।

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14th January, 2022

No. 46 /(2015-2020)

Subject: Amendment of Para 2.54 (d)(v)(iv) of Handbook of Procedures, 2015-2020.

F. No.01/89/180/53/AM-01/PC-II(B)/E-2382.—In exercise of powers conferred under Para 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby amends Para No. 2.54 (d)(v)(iv)of the Handbook of Procedures (2015-2020) by inserting Hazira Port and Kamarajar Port to the list of sea ports where Pre-shipment Inspection Certificate (PSIC) is exempted in case of import of metallic scrap coming from safe countries/regions. The amended para will be read as under **(changes made are in bold letters)**:

Amended Para No. 2.54 (d)(v)(iv): Import consignments of metallic waste and scrap shall be subject to pre-shipment inspection certificate (PSIC) from the country of origin. However, metallic waste and scrap (both shredded and unshredded) imported from safe countries / region i.e. the USA, the UK, Canada, New Zealand, Australia and the EU will not require PSIC if consignments are cleared through these ten (10) ports namely, Chennai, Tuticorin, Kandla, JNPT, Mumbai, Krishnapatnam, Mundra, Kattupalli, Hazira and Kamarajar. Consignments from these six countries / regions will be accompanied by certificate from the supplier / scrap yard authority to the effect that it does not contain any radioactive materials / explosives. These will however be subject to radiation and explosive checks through portal monitors and container scanner at these ports. Transshipments through these countries / regions will not be allowed this facility. Import through remaining eight (8) other ports (for both shredded and unshredded scrap / waste), irrespective of country of origin, will be subject to PSIC.

2. Effect of this Public Notice:

Import of metallic waste and scrap from 6 safe countries / region without PSIC is now permitted from 10 designated ports including through Hazira port and Kamarajar port. As a result, the total number of sea ports exempted for PSIC for import of metallic scrap under Para 2.54 of HBP have increased from existing 08 to 10.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade &

Ex- officio Addl. Secy.